न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 42/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा

तारीख दायराः 11.4.2018

अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

**उनवान**

1 घांसीदास पुत्र पन्ना दास जाति बैरागी निवासी ग्राम मांदलिया नायब तह0 मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

...अपीलांट

**बनाम**

1 सत्यनारायण पुत्र स्व0 मोहनदास जाति बैरागी
2 कान्तिबाई पुत्र स्व0 मोहनदास जाति बैरागी
3 रूकमणी बाई पुत्री मोहनदास जाति बैरागी
4 मनोहरबाई पुत्री स्व0 मोहनदास जाति बैरागी
5 रघुनाथी बेवा स्व0 मोहनदास जाति बैरागी निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार मण्डाना जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री शम्भूदयाल विजय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री बृजनारायण शर्मा अभिभाषक रेस्पो0

**:::निर्णय:::**

दिनांक 18.6.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 268/11 (अपील) घांसीदास बनाम सत्यनारायण वगेरा अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 1..2.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा वाके ग्राम मांदलिया की कुल किता 9 रकबा 2.39 है0 आराजी जो अपीलांट व रेस्पो0 के पिता व पति मोहनदास के समभाग से दर्ज रिकार्ड है। मोहनदास का दिनांक 9.2.2011 को मृत्यु होने उपरांत नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा तस्दीक किया गया उक्त नामा0 सं0 378 से प्रसन्न होकर अपीलांट घांसीदास द्वारा धारा 75 एलआरएक्ट मे प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार द्वारा बिना बंटवारे के, वाद के बिना न्यायालय के निर्णय व डिक्री एवं इजराय के एक पक्षीय रूप से नामान्तरकरण तस्दीक करने मे त्रुटि की है अतः नामा0 सं0 738 निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने सेनिर्णय दिनांक 1.2.2018 से खारिज की गई जिससे व्यथित होकर द्वितीय अपील धारा 76 एलआरएक्ट मे न्यायालय हाजा मे पेश कर इस आशय की पेश की गई कि निर्णय जेरअपील हरदो अदालत मातहत खिलाफ कानून एवं रूऐदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है। नामा0 सं0 378 मृतक मोहनदास के नाम खोला गया जो प्रथम दृष्टया ही काबिल खारजी है क्योकि मृतक व्यक्ति के नाम नामा0 नही खोला जा सकता। नायब तहसीलदार मण्डाना को बंटवारा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है गुपचुप तरीके से एक खेत इकजाही 1.20 है0 मोहनदास के नाम दर्ज कर दिया और 9 छोटे टुकडे 1. 19 है0 अपीलांट के नाम करते हुये नामा0 दर्ज कर दिया जबकि बंटवारे का प्रावधान टीनेन्सी एक्ट की धारा 53 के अन्तर्गत जिसका नियमित वाद एसीएम मुख्यालय कोटा मे होना चाहिये था और प्रारम्भिक डिक्री के बाद बंटवारा रिपोर्ट तलब कर तथा आपत्तियां सुनने उपरांत रूल 18 से 20 की पालना करने उपरांत अतिम डिक्री जारी की जाती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर ध्यान नही दिया इसलिये निर्णय जेरअपील हरदो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर नही किया नामा0 सं0 378 दिनांक 18.2.

अति० स० आयु०
कोटा

2011 को खोला गया जबकि मोहनदास बैरागी की मृत्यु दिनांक 9.2.11 को ही हो चुकी थी इससे स्पष्ट है कि पटवारी कानूनगो द्वारा कोई जांच नही की तथा नामान्तरकरण खोल दिया जो कानूनन खोला ही नही जा सकता था तथा नामा0 प्रारम्भ से निरस्त किये जाने योग्य था। उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअदांज करते हुये तथा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों को नजर अंदाज करते हुये अपीलांट की अपील खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जेरअपील हर दो अदालत मातहत दिनांक 1.2.18 एवं नामा0 सं0 378 दिनांक 18.2.11 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा बिना वाद व बंटवारे के निर्णय एवं इजराय के नायब तहसीलदार को नामा0 तस्दीक करने का अधिकार नही है। नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा 7 छोटे खसरा नम्बरान का रेस्पो0 के नाम तथा एक इकजाही बडा नम्बर का अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने मे कानूनी त्रुटि की है। भूमि का बंटवारा केवल धारा 53 टीनेन्सीएक्ट के अन्तर्गत ही सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। उक्त नामा0 मृतक मोहनदास के नाम एकपक्षीय रूप से तस्दीक करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गोर किये बिना ही अपीलांट की अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय हर दो मातहत अदालत निरस्त किये जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 बहस मे बताया कि अपीलांट का कथन असत्य है कि उकत इन्तकाल की जानकारी उसे दिनांक 8.8.11 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुई जबकि इन्तकाल तस्दीक किये जाने से पूर्व स्वयं अपीलांट द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 53 (2) (1) टीनेन्सी एक्ट (सहमति विभाजन प्रस्ताव) का प्रस्तुत किया था जो अपीलांट का हस्ताक्षरयुक्त है। ऐसी स्थिति मे जानकारी का उल्लेखित तथ्य गलत है। नामा0 सं0 378 आपसी सहमति से खोला गया है उप तहसील मण्डाना केम्प मांदलिया मे दिनांक 19.1.2011 को खातेदार घांसीदास व मोहनदास की आपसी सहमति से बटवारां किये जाने के आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना मे नामा0 सं0 378 दिनांक 18.2.2011 खोला गया है। यदि अपीलांट को आपत्ति है तो बंटवारा आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करनी चाहिये। अपील सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय दि0 1.2.2018 का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के अवलोकन से प्रकट होता है कि नामानतरकरण सं0 378 दिनांक 18.2.11 अपीलांट व रेस्पो0 के पिता मोहनदास के आपसी सहमति से केम्प मांदलिया मे सहमति विभाजन न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना के आदेश दिनांक 19.1.2011 की पालना मे खोला गया है। ऐसी स्थिति मे यदि सहमति विभाजन के आदेश दिनांक 19.1.2011 से आपत्ति है तो अपीलांट सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त विवेचित अभिमत विधिसम्मत होने से नामा0 सं0 378 दिनांक 18.2.11 एवं जेरअपील निर्णय दिनांक 1.2.2018 प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा